

नगर परिषद, चित्तौडगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHITTORGARH/FIRENOC/2025-26/57225
जारी दिनांक: 09-OCT-2025 वैधता दिनांक: 08-OCT-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: AMIT KUMAR PALIWAL
आवेदक का पता: BOJUNDA, CHITTORGARH

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA CHITTORGARH, 1, BOJUNDA, BOJUNDA, , CHITTORGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. पानी के टैंक हर समय फुल भरे रखने होंगे एवं पुरा फायर सिस्टम 24x7 कार्याल स्थिति में रखना अनिवार्य होगा।
2. भवन/इकाई के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति-ज्वलनशील पदार्थ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
3. फायर सिस्टम को चलाने हेतु/आगजनी घटना से निपटने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित आवयकतानुसार रखने होंगे।
4. फायर वाहन आसानी से आ-जा सके इसके लिए पर्याप्त मार्ग खुला व अवरोध रहित रखना होगा।
5. रोप लेडर/एक्सटेंशन लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना रेस्क्यू हेतु रखना अनिवार्य होगा।
6. उपरोक्त फायर एन.ओ.सी. जारी दिनांक के बाद यदि आगजनी संबंधी कोई भी घटना घटित होती है तो अधिभोगी पर नियमानुसार शास्ति लगाकर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
7. आगजनी घटना के कारण किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो अधिभोगी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
8. बैसमेन्ट में कर्मचारी/मरीज/आमजन का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।
9. निर्माण कार्य व अग्निशमन उपकरणों का इन्स्टालेशन एन.बी.सी. की निर्धारित गाईड लाईन व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करना होगा। निर्माण पूर्ण होने पर स्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों का अधिभोगी द्वारा पालना नहीं करने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा जिसकी समस्त विधिक कार्यवाही के लिए अधिभोगी समस्त जिम्मेदार होगा।



Signed by: Meva Ram
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHITTORGARH, Rajasthan
Date: 09/10/2025 18:53:37



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौडगढ़